Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

भारत में प्राथमिक शिक्षा का महत्व एवं सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता

Sarvesh Kumar Tripathi[1]*, Dr. Bela mery Joseph[2]

[1] Research Scholar, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat

[2] Associate Professor, Sardar Patel University, Balaghat

सार - शिक्षा एक आवश्यक मानवीय गुण है। शिक्षा से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। वह वही है जो शिक्षा उसे बनाती है। यह ठीक ही कहा गया है कि शिक्षा के बिना, मनुष्य एक शानदार दास है, जिसका कारण है बर्बरता। सभ्य समाज के अस्तित्व के लिए शिक्षा आवश्यक है। मनुष्य को केवल उसके जैविक अस्तित्व के संदर्भ में कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य के सामाजिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। सर्व शिक्षा अभियान ,एक भारतीय सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समयबद्ध तरीके से है, जैसा कि अनिवार्य है 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने वाले भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन (2001 में संख्या में 205 मिलियन होने का अनुमान) एक मौलिक अधिकार है।

मुख्य शब्द – प्राथमिक, शिक्षा, सर्व, शिक्षा, अभियान

----------x----------

परिचय

संसार के महान नेता महात्मा गाँधी ने कहा था कि शिक्षा और जीवन का क्षेत्र समान होना चाहिए। यही नहीं , उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जीवन की रक्षा कर सके। ऐसी बात पहली बार किसी सामाजिक और आध्यात्मिक नेता ने कही थी। दूसरी ओर, विज्ञान ने भी इस बात का अनुमोदन किया है कि समस्त जीवन के लिए शिक्षा का विस्तार व्यवहार में सम्भव हो सकता है।

आजकल शिक्षा की जैसी अवधारणा है वह हमारे शारीरिक और सामाजिक जीवन दोनों से ही पृथक है। जो भी शिक्षा की दुनिया में प्रवेश करते हैं वे प्रायः समाज से कट जाते हैं। शिक्षा-संस्थाएँ भी समाज से कटी-कटी रहती हैं। यदि कोई छात्र सामाजिक अन्याय के विरुद्ध या किसी राजनैतिक समस्या पर आवाज उठाता है तो उसे यही आदेश मिलता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि विश्वविद्यालय से निकलने पर युवा वर्ग का दिमाग इतना कुंठित हो जाता है कि उसकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वे सामाजिक समस्याओं पर स्वयं कोई राय नहीं बना पाते। अतः आवश्यकता है- हर स्तर की शिक्षा को जीवन की वास्तविक व व्यावहारिक परिस्थितियों से जोड़ने की। शिक्षा का संसार एक ऐसे द्वीप की तरह है , जहाँ लोगों को संसार से अलग करके जीवन का सामना करने की शिक्षा दी जा रही हो।

शिक्षा एक आवश्यक मानवीय गुण है। शिक्षा से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। वह वही है जो शिक्षा उसे बनाती है। यह ठीक ही कहा गया है कि शिक्षा के बिना , मनुष्य एक शानदार दास है, जिसका कारण है बर्बरता। सभ्य समाज के अस्तित्व के लिए शिक्षा आवश्यक है। मनुष्य को केवल उसके जैविक अस्तित्व के संदर्भ में कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य के सामाजिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। शिक्षा समाज में मनुष्य की सर्वोच्च स्थिति का द्योतक है। एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं से

www.ignited.in

बना है। शिक्षा इन अलग-अलग संस्थाओं के एकीकरण के बारे में बताती है। शिक्षा वह सिखाती है जो मनुष्य जीता है और उसके लिए संघर्ष करता है। वह एकीकृत जीवन की खेती करता है। ऐसा करने से, वह जीवन को महत्व देता है।

संक्षेप में, शिक्षा सभी मानव समाजों का एक आवश्यक सहवर्ती है। क्या मूर्तिकला संगमरमर के एक ब्लॉक के लिए है, शिक्षा आत्मा है, एडिसन कहते हैं। हालाँकि, हमं ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो निरक्षरता को मिटा सकती है और आम आदमी को न केवल बुनियादी शिक्षा बल्कि उच्च और तकनीकी शिक्षा तक भी पहुँच प्रदान कर सकती है।

जबकि अधिकांश को लगता है कि शिक्षा एक आवश्यकता है, वे इसे एक विशिष्ट लक्ष्य या व्यक्तिगत चिह्न तक पहुंचने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके बाद अधिक से अधिक शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, समाज में शिक्षा का महत्व अपरिहार्य और सामंजस्यपूर्ण है, यही कारण है कि समाज और ज्ञान को कभी दो अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा सेल्फ एम्पावरमेंट है। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से मदद मिलती है आपको सशक्त बनाती है, इस प्रकार आपको किसी भी परिस्थिति में खुद की देखभाल करने के लिए मजबूत बनाता है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा का महत्व

हमारी आजादी के बाद से भारत में प्राथमिक शिक्षा के महत्व को जानबूझकर या अनजाने में उपेक्षित किया गया है और भारत सरकार अब 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी वर्गों को कवर करने के लिए कानून और योजना बनाकर प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए तैयार है। योग्य शिक्षा के लिए उम्र और आश्वासन। भारतीय संविधान के विभिन्न लेख में भी शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार के रूप में निरूपित हैं।

भारतीय राज्य सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने के महत्व से अच्छी तरह परिचित है। 1950 में, संविधान ने अनुच्छेद 45 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत हल किया था कि राज्य एक अवधि के भीतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

इस संविधान के प्रारंभ से दस साल तक, सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हे जब तक कि वे चैदह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

तब से, हर पंचवर्षीय योजना, शिक्षा पर 1968 की राष्ट्रीय नीति और शिक्षा पर संशोधित 1992 की राष्ट्रीय नीति सहित कई दस्तावेजों ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूईई) में भारत के प्रयासों को परिष्कृत करने का प्रयास किया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में प्राथमिक शिक्षा का महत्व का अध्ययन
2. आरटीई) (2009) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

आरटीई (2009) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सरकार ने इस प्रक्रिया को वर्ष 1960 में (मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा) शुरू किया है और हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया है।

उपरोक्त लेख में परिकल्पित कानून का पहला मसौदा, अर्थात, बच्चों के लिए निरू शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2003 तैयार किया गया था और अक्टूबर, 2003 में इस वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद, इस मसौदे पर प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, निरू शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2004 के बिल का संशोधित मसौदा तैयार किया गया और http://education-nic-in वेबसाइट पर पोस्ट किया गया।

जून 2005 में सीएबीई (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन) समिति ने श्शिक्षा का अधिकारश् विधेयक का मसौदा तैयार किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया। एमएचआरडी ने इसे भेजा

www.ignited.in

एनएसी (राष्ट्रीय सलाहकार समिति) जहां श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं।

एनएसी (राष्ट्रीय सलाहकार समिति) ने पीएम को उनके अवलोकन के लिए विधेयक भेजा।

14 जुलाई 2006 को वित्त समिति और योजना आयोग ने धन की कमी का हवाला देते हुए विधेयक को अस्वीकार कर दिया और आवश्यक व्यवस्था करने के लिए एक मॉडल विधेयक राज्यों को भेजा गया। (उत्तर 86 वें संशोधन के बाद, राज्यों ने पहले ही राज्य स्तर पर धन की कमी का हवाला दिया था)।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीई अधिनियम को पत्र और भावना में सफलतापूर्वक लागू किया गया है , एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) ने संस्थानों, सरकारी विभागों , नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की पहल की है। इसने आरटीई के समुचित क्रियान्वयन के लिए रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया है , जिनमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति और अनुभव के व्यक्ति शामिल हैं।

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के तौर-तरीकों का वर्णन है।

१ अप्रैल २०१० ६ से अधिनियम लागू होने पर ११५ बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए १३५ देशों में से एक बन गया कई सकारात्मक घटनाक्रम दर्ज किए गए हैं , खासकर 1990 के दशक के बाद। माता-पिता और अभिभावकों के बीच बच्चों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ाने के साथ बुनियादी शिक्षा की मांग बढ़ रही है।

सर्व शिक्षा अभियान

भारत ने आजादी के बाद से सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का कठिन प्रयास किया है सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है। एमएलएल (लर्निंग का न्यूनतम स्तर) , यूईई (प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण) और डीपीईपी-एसएसए (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - सर्व शिक्षा अभियान) सभी के लिए शिक्षा के सम्मानित उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में हाल के प्रयास थे।

सर्व शिक्षा अभियान ,एक भारतीय सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समयबद्ध तरीके से है , जैसा कि अनिवार्य है 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने वाले भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन (2001 में संख्या में 205 मिलियन होने का अनुमान) एक मौलिक अधिकार है।

जबकि अधिकांश को लगता है कि शिक्षा एक आवश्यकता है, वे इसे एक विशिष्ट लक्ष्य या व्यक्तिगत चिह्न तक पहुंचने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं , जिसके बाद अधिक से अधिक शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।

बहरहाल, समाज में शिक्षा का महत्व अपरिहार्य और सामंजस्यपूर्ण है, यही कारण है कि समाज और ज्ञान को कभी दो अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा सेल्फ एम्पावरमेंट है। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से मदद मिलती है आपको सशक्त बनाती है, इस प्रकार आपको किसी भी परिस्थिति में खुद की देखभाल करने के लिए मजबूत बनाता है। यह आपको अपने आसपास के साथ-साथ उस समाज के नियमों और विनियमों से अवगत कराती है, जिसमें आप रह रहे हैं।

यह केवल ज्ञान के माध्यम से संभव है कि आप इसकी लापरवाही या विसंगतियों के लिए प्राधिकरण पर सवाल उठा सकते हैं। पढ़ना , लिखना और अंकगणित की तुलना में शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

यह सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है जो एक देश अपने लोगों और उसके भविष्य के लिए कर सकता है और गरीबी और असमानता को कम कर सकता है। शिक्षा में निवेश का प्रभाव गहरा है शिक्षा का परिणाम आय में

वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन को कम करना और गरीबी को कम करना है। शिक्षा आर्थिक विकास के लिए देश की क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हैरू

अगर कम आय वाले देशों में भी सभी छात्रों ने बुनियादी पढ़ने के कौशल के साथ स्कूल जोड़ दिया , तो 171 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। यह वैश्विक गरीबी में 12 कटौती के बराबर है।

स्कूली शिक्षा के एक अतिरिक्त वर्ष से व्यक्ति की कमाई में 10 तक की वृद्धि होती है।

मजदूरी, कृषि आय और उत्पादकता - गरीबी कम करने के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा द्वारा संपन्न हो सकते हैं और महिलाएं बेहतर शिक्षा कृषि उपज मैं सहायक वन नै पैदावार और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती हैं ।

स्कूली शिक्षा से प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष में औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.37 की वृद्धि होती है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भी हुए हैं जिनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। 1976 में संविधान के 42 वें संशोधन में शिक्षा को लाया, गया जो काफी हद तक राज्यों की जिम्मेदारी थी, समवर्ती सूची में प्राथमिक शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बना रही थी। 2002 में, भारत सरकार ने 86 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। 2009 में, भारत ने आगे बढ़कर बच्चों के निरू शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (2009) को पारित किया।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सामाजिक , क्षेत्रीय और लैंगिक अंतराल को पाटने का एक और लक्ष्य है, प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ। स्कूलों। एसएसए के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

2003 तक स्कूल में सभी बच्चे , शिक्षा गारंटी केंद्र , वैकल्पिक स्कूल, बैक-टू-स्कूल शिविर

- सभी बच्चे 2007 तक पांच साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं
- सभी बच्चे 2010 तक आठ साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देने के साथ संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दें
- 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी अंतराल को पाट दें

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी) विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एसएसए द्वारा आरटीई (2009) के प्रावधान के तहत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए वैकल्पिक स्कूली शिक्षा की सुविधा है , जो उन बच्चों के लिए है जो बाहरी ध् ड्रॉप आउट हैं। वर्तमान शैक्षिक प्रणाली या जो कभी स्कूल नहीं गए (9 से 14 वर्ष)।

1. स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स का मतलब स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत की जाने वाली वैकल्पिक स्कूलिंग व्यवस्था से है।
2. मुख्यधारा के बच्चे वे बच्चे जिन्हें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सामान्य स्कूल में दाखिला दिया जाता है ।
3. बाल मित्र एसएसए द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण संसाधन व्यक्ति ।
4. ट्रैकिंग अपने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद मुख्यधारा के बच्चों की स्कूली शिक्षा जारी रखना ।

14 जुलाई 2006 को वित्त समिति और योजना आयोग ने धन की कमी का हवाला देते हुए विधेयक को अस्वीकार कर दिया और आवश्यक व्यवस्था करने के लिए एक

www.ignited.in

मॉडल विधेयक राज्यों को भेजा गया। (उत्तर 86 वें संशोधन के बाद, राज्यों ने पहले ही राज्य स्तर पर धन की कमी का हवाला दिया था)।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीई अधिनियम को पत्र और भावना में सफलतापूर्वक लागू किया गया है , एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) ने संस्थानों, सरकारी विभागों , नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की पहल की है।

इसने आरटीई के समुचित क्रियान्वयन के लिए रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया है , जिनमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति और अनुभव के व्यक्ति शामिल हैं।

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के तौर-तरीकों का वर्णन है। १ अप्रैल २०१० ६ से अधिनियम लागू होने पर ११५ बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए १३५ देशों में से एक बन गया

कई सकारात्मक घटनाक्रम दर्ज किए गए हैं, खासकर 1990 के दशक के बाद। माता-पिता और अभिभावकों के बीच बच्चों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ाने के साथ बुनियादी शिक्षा की मांग बढ़ रही है।

पिछले दो दशकों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है , सकल नामांकन लगभग सार्वभौमिक है , प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए भी ड्रॉप आउट दरों में गिरावट आई है , और कई और शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। अधिक स्कूल प्रोत्साहन (जैसे कि मुफ्त पाठ्य पुस्तकें) ने बेहतर आउटरीच और कवरेज को जन्म दिया है।

इस नजरिए से देखने पर अपेक्षा है कि शैक्षिक हस्तक्षेप ऐसे प्रयास का रूप लेगा जिसके तहत एक नया ज्ञानमीमांसात्मक (एपिस्टामॉलॉजिकल) परिप्रेक्ष्य विकसित करना होगा जहाँ सामाजिक न्याय एवं विकास के मुद्दों के साथ ज्ञान के वर्तमान रिश्तों पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। जत्थे की दृष्टि में यह ज्ञानमीमांसात्मक काम भी समाज से कटे हुए बौद्धिक माहौल में अलग-थलग रहकर नहीं किया जाएगा। बल्कि इस प्रयास को आम लोगों और खासकर बच्चों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े सामाजिक समूहों एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों जैसे उत्पीड़ित तबकों को जोड़ने की चुनौती के रूप में देखने की जरूरत है। इस प्रयास के दौरान ये उत्पीड़ित तबके सामूहिक चिंतन एवं कर्म के जरिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने और अपने विकास को ठोस रूप देने की ओर स्वयं पहल करेंगे।

उपसंहार

स्कूली शिक्षा के सामाजिक चरित्र में बदलाव के मुद्दे में श्प्रत्यक्षश् और श्प्रच्छन्नश् दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन शामिल है। इसमें सभी सामाजिक एवं विकास-सम्बन्धी सरोकारों के साथ पाठ्यक्रम को जोड़ने का काम शामिल होगा। इसके लिए आवश्यक होगा कि कई संदर्भगत मुद्दों की जांच-पड़ताल की जाए जिसकी शुरुआत स्थानीय महत्व के मुद्दों से होगी और आगे चलकर आंचलिक और अंततः वैश्विक सरोकारों तक जाएगी। इसी दौर में इन विभिन्न स्तरों के सरोकारों के बीच की कड़ियों को भी स्थापित करना होगा। इसके लिए शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि उसके जरिए बच्चों, शिक्षकों और सम्बन्धित समुदायों के लोगों को सक्रिय रूप से यह चिंतन करने का मौका मिल सके। तभी यह स्पष्ट होगा कि ये सरोकार और उनके बीच के सम्बन्ध किन तरीकों से अगली सदी के मोड़ पर हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. भारत सरकार (2003), श्सभी के लिए शिक्षा , राष्ट्रीय कार्य योजना 2003श्, नई दिल्लीय योजना आयोग में उद्धृत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षा सांख्यिकी, (2007)

2. चयनित शिक्षा सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना आयोग (2007) में उद्धृत

किया, श्श् 11 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता पर कार्यदल की रिपोर्ट भारत सरकार , नई दिल्ली ीजजचरू ध्ध् चसंदबवउउपेेपवद पर सुलभ -nic-in / aboutus / lfefr / wrkgrp11 / wg11_eleeduA

3. चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एचजी और देसाई , केजी (1997) अनुसंधान विधियों और तकनीकों , (छठी एडी) , अहमदाबादरू विश्वविद्यालय प्रेस बोर्ड , गुजरात राज्य।

4. बेस्ट, जॉन डब्ल्यू। (1965) रिसर्च इन एजुकेशन , (सातवीं ईडी।) नई दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा। लिमिटेड

5. वाल्टर आर। बोर्ग और एमजी गैल (1983), शैक्षिक अनुसंधान एक परिचय, न्यूयॉर्क, लंदन।

6. संगई, एस, वशिष्ठ, के, के, दत्ता, यू एट अल (2002) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण - प्रारंभिक शिक्षा के प्रासंगिक विभाग की खोज करें , एनसीईआरटी, नई दिल्ली

7. वशिष्ठ, के0 के0 (2006)य विद्यालय संगठन एवं भारतीय शिक्षा की समस्यायें , मेरठः लायल बुक डिपो।

8. सारस्वत, मालती एवं मदन मोहन (2006)य भारतीय शिक्षा की उदीयमान समस्यायें, इलाहाबादः न्यू कैलाश प्रकाशन ।

9. सारस्वत, मालती एवं एस.एल.गौतम (2010)य भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक समस्यायें, लखनऊः आलोक प्रकाशन।

10. सिंह, अरूण कुमार (2003)य मनोविज्ञान , समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ , दिल्लीः मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन।

11. शर्मा, आर.ए. (2012)य शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया , मेरठः आर. लाल बुक डिपो।

12. त्रिपाठी, केसरी नन्दन एवं आलोक कुमार (2012)य उत्तर प्रदेशरू एक समग्र अध्ययन , इलाहाबादः बौद्धिक प्रकाशन ।

Corresponding Author

Sarvesh Kumar Tripathi*

Research Scholar, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat

www.ignited.in